विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-07/16

मोहम्मद सईद पिता अब्दुल रशीद एवं अन्य 4 — आवेदक
द्वारा– बी.एच. अंसारी,
मोमीनपुरा, बुरहानपुर म.प्र.

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (शहर संभाग) — अनावेदक
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
बुरहानपुर म.प्र.

आदेश

(दिनांक 30.06.2016 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0327716 मो. सईद पिता अब्दुल रशीद एवं अन्य विरूद्ध कार्यपालन यंत्री (शहर), म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. बुरहानपुर में पारित आदेश दिनांक 30.03.2016 के विरूद्ध आवेदक की ओर से अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–07/16 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को दिनांक 06.06.2016 को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 आवेदक द्वारा लिखित वहस प्रस्तुत की गई जिसमें उन्होंने अपील में शामिल सभी आवेदकों के संबंध में अवगत कराया गया कि–

अ आवेदकों के संयोजित भार में कोई भी स्थापित मोटर 3 हार्सपावर से अधिक क्षमता की नहीं है।

ब एक ही परिसर में दिये गये विद्युत कनेक्शन यद्यपि एक के नाम से है परन्तु स्थापित पावर लूम के मालिक अलग–अलग हैं ।

स वहस में यह भी अवगत कराया गया कि विद्युत कनेक्शन में स्थापित पावर लूम एक समान एक समय पर लगातार नहीं चलते तथा पावर लूम को बार–बार चलाना पड़ता है इसलिए पावर फैक्टर मेन्टेंन किया जाना संभव नहीं है।

द आवेदकों द्वारा अपने परिसर में विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 6.14 के अनुसार संयोजित भार के अनुरूप निर्धारित क्षमता के कैपेसिटर स्थापित किये गये हैं उसके उपरांत भी पावर फैक्टर 0.8 या उससे अधिक मेंन्टेन नहीं हो पा रहा है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उनसे लो पावर फैक्टर के विरूद्ध लिये जाने वाले सरचार्ज को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

04 आवेदक द्वारा अपने अभ्यावेदन में इस प्रकार के एक प्रकरण मेसर्स ऊषा टैक्सटाइल्स, उज्जैन के विरूद्ध आयोग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के विपरीत जाकर दिनांक 26.2.2014 को आदेश पारित किया है जो आवेदक के ऊपर बंधनकारी नहीं है, का भी उल्लेख किया।

05 अनावेदक द्वारा वहस के दौरान अवगत कराया गया है कि विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 6.15 में इस बात का उल्लेख है कि उपभोक्ता के परिसर में ऐसा मीटर जिसमें कि पावर फैक्टर अभिलेख करने का फीचर विद्यमान है एवं संयोजित भार के अनुरूप समुचित क्षमता के कैपेसिटर स्थापित करने पर भी निर्धारित सीमा के अंतर्गत पावर फैक्टर संधारित नहीं किया जाता है उस स्थिति में भी उपभोक्ता को लो पावर फैक्टर सरचार्ज का भुगतान करना होगा। अनावेदक द्वारा इस संबंध में अपील में शामिल सभी आवेदकों के परिसर की मीटर डायरी एवं मीटर जिसमें कि पावर फैक्टर रिकार्ड करने की सुविधा थी के दस्तावेज प्रस्तुत किये। आवेदकों के विरूद्ध कब से लो पावर फैक्टर के कारण सरचार्ज की बिलिंग की जा रही है, का विवरण भी प्रस्तुत किया है।

06 उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत लिखित वहस एवं दिये गये तर्क तथा दस्तावेजों के आधार पर इस बात की पुष्टि होती है कि –

अ आवेदक मो. सईद को 10 हार्सपावर का विद्युत कनेक्शन दिया गया तथा इनके परिसर में विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 6.14 की तालिका के अनुसार 3 केवीएआर का कैपेसिटर स्थापित किया गया है । आवेदक के यहॉ अगस्त 2014 में पावर फैक्टर अभिलेख करने की सुविधायुक्त मीटर लगाया गया है।

ब आवेदक मो. माजिद को 10 हार्सपावर का विद्युत कनेक्शन दिया गया तथा इनके परिसर में विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 6.14 की तालिका के अनुसार 3 केवीएआर का कैपेसिटर स्थापित किया गया है । आवेदक के यहॉ जुलाई 2014 में पावर फैक्टर अभिलेख करने की सुविधायुक्त मीटर लगाया गया है।

स आवेदक निहाल हुैसन को 10 हार्सपावर का विद्युत कनेक्शन दिया गया तथा इनके परिसर में विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 6.14 की तालिका के अनुसार 3 केवीएआर का कैपेसिटर स्थापित किया गया है । आवेदक के यहॉ दिनांक 7 जनवरी, 2015 में पावर फैक्टर अभिलेख करने की सुविधायुक्त मीटर लगाया गया है।

द आवेदक पवन कुमार को 24 हार्सपावर का विद्युत कनेक्शन दिया गया तथा इनके परिसर में विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 6.14 की तालिका के अनुसार 6 केवीएआर का कैपेसिटर स्थापित किया गया है । आवेदक के यहॉ 4 मार्च 2015 में पावर फैक्टर अभिलेख करने की सुविधायुक्त मीटर लगाया गया है।

च आवेदक सज्जन कुमार को 18 हार्सपावर का विद्युत कनेक्शन दिया गया तथा इनके परिसर में विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 6.14 की तालिका के अनुसार 3 केवीएआर का कैपेसिटर स्थापित किया गया है । आवेदक के यहॉ 18 सितंबर 2015 में पावर फैक्टर अभिलेख करने की सुविधायुक्त मीटर लगाया गया है।

07 उपरोक्त सभी आवेदकों की मीटर डायरी में दर्ज पावर फैक्टर के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि किसी माह में भी आवेदकों के परिसर में स्थापित किये गये कनेक्शनों में पावर फैक्टर 0.8 या उससे अधिक दर्ज नहीं हुआ।

08 उपरोक्त अपील के निराकरण करने की दृष्टि से मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 6.14, 6.15, 6.16 एवं 6.17 का अवलोकन किया गया जो निम्नानुसार है –

6.14 सिंचाई पम्प सैट वाले उपभोक्ता सहित ऐसा प्रत्येक निम्नदाब उपभोक्ता, जिसके संयोजित भार में 3 ब्रेक अश्वशक्ति (BHP) अथवा इससे अधिक की क्षमता वाली इन्डक्शन मोटर सम्मिलित है, स्वयं के व्यय पर निम्नदाब वाले शन्ट संधारित्र (Shunt Capacitor) स्थापित करने को अपनी मोटर के टर्मिनलों के बीच नीचे दी गई सूची के अनुसार स्थापित करने की व्यवस्था करेगा । वह उपभोक्ता जिसके निम्नदाब संयोजन पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय किये गये मीटर में ऊर्जा कारक अभिलेखन वैशिष्ट्य (फीचर) विद्यमान नहीं है, वह निम्न क्षमता (रेटिंग) में दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार संधारित्रों (Capacitors) को स्थापित किया जाना सुनिश्चित करेगा । तथापि, निम्न तालिका में दर्शाये गये संधारित्रों की क्षमता किसी भी उपभोक्ता को 0.8 न्यूनतम औसत ऊर्जा कारक के परिपालन को सुनिश्चित करने हेतु अधिकृत होने से नहीं रोकेगी :

क्रमांक	*इन्डक्शन मोटर की क्षमता (रेटिंग)*	*निम्नदाब संधारित्र की के.व्ही.ऐ.आर. क्षमता (रेटिगं)*
1	*3 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक तथा 5 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक*	*1*
2	*5 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक तथा 7.5 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक*	*2*
3	*7.5 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक तथा 10 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक*	*3*
4	*10 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक तथा 15 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक*	*4*
5	*15 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक तथा 20 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक*	*5*
6	*20 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक तथा 30 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक*	*6*
7	*30 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक तथा 40 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक*	*7*
8	*40 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक तथा 50 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक*	*8*
9	*50 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) से अधिक तथा 100 ब्रेक अश्वशक्ति (बी.एच.पी.) तक*	*9*

वह उपभोक्ता जिसके निम्न–दाब संयोजन पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय किये गये मापयन्त्र (मीटर) ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) अभिलेखन वैशिष्ट्य (फीचर) विद्यमान हैं, वह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा स्थापित किये गये संधारित्र (कैपेसीटर) 80 प्रतिशत तथा इससे अधिक ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) संधारित रखें।

ऐसे निम्न–दाब संयाजे न(ों) पर जहां 3 ब्रेक अश्वशक्ति या उससे अधिक क्षमता की इंडक्शन मोटर/मोटरें स्थापित की गई हैं, को विद्युत प्रदाय तब तक अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा, जब तक उनमें ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) में सुधार लाने हेतु उचित क्षमता के संधारित्र स्थापित न कर दिये जाएं।

6.15 उपरोक्त वर्णित उपभोक्ताओं के अलावा ऐसे सभी निम्नदाब उपभोक्ता, जिनका भार 50 किलोवॉट या इससे अधिक है, समुचित क्षमता का संधारित्र (कैपिसिटर) स्थापित करेगें, ताकि समय–समय पर जारी विद्युत वितरण तथा खुदरा प्रदाय विद्युत–दर (टैरिफ) में किये गये उल्लेख अनुसार 80 प्रतिशत या इससे अधिक ऊर्जा कारक सुनिश्चित किया जा सके। ऊर्जा कारक सन्तोषजनक न पाये जाने पर ऐसे उपभोक्ता को आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये अर्थदण्ड (Penalty) का भुगतान करना होगा।

6.16 कोई निम्नदाब उपभोक्ता जिसके संबंध में स्थापित किये गये मापयन्त्र (मीटर) में ऊर्जा–कारक (पावर फेक्टर) अभिलेखन वैशिष्ट्य (फीचर) विद्यमान नहीं है तथा जो पूर्व में निर्दिष्टानुसार निम्नदाब संधारित्र (कैपेसीटर) स्थापित नहीं करता है अथवा इन संधारित्रों (कैपेसीटरों) को चालू स्थिति में संधारित नहीं करता है, उसे एक अधिभार का भुगतान करना होगा, जैसा कि इसे समय–समय पर जारी विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश में निर्दिष्ट किया जाए । कोई निम्नदाब उपभोक्ता, जिसके प्रकरण में, स्थापित किये गये मापयंत्र (मीटर) में ऊर्जा–कारक (पावर फेक्टर) अभिलेखन वैशिष्ट्य विद्यमान है, परन्तु समुचित संधारित्रों (कैपेसीटरों) के स्थापित किये जाने पर भी मापयन्त्र में किये गये अभिलेख अनुसार विनिर्दिष्ट सीमाओं के अन्तर्गत ऊर्जा–कारक (पावर फेक्टर) संधारित नहीं करता है उसे एक अधिभार का भुगतान करना होगा, जैसा कि मापयन्त्र (मीटर) द्वारा अभिलिखित किया गया हो तथा जैसा कि इसे समय–समय पर जारी टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट किया जाए।

6.17 यदि औसत ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) 70 प्रतिशत से कम पाया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी 15 दिवस की उचित सूचना के पश्चात किसी भी विद्युत स्थापना को विद्युत प्रदाय विच्छेदित कर सकेगा, तथापि, विद्युत प्रदाय के विच्छेदन की अवधि में अनुज्ञप्तिधारी का उपभोक्ता से प्रचलित मांग प्रभार/न्यूनतम प्रभार आरोपित करने का अधिकार किसी भी प्रकार से प्रभावित न होगा।

उपरोक्त कंडिकाओं के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि –

अ यद्यपि ऐसे प्रत्येक विद्युत कनेक्शन जिसमें 3 हार्सपावर या उससे अधिक क्षमता की इण्डक्शन मोटर स्थापित की गई है उसमें कंडिका 6.14 में दी गई तालिका के अनुसार कैपेसिटर की स्थापना करना आवश्यक है। इस प्रकरण में सभी आवेदकों के परिसर में यद्यपि स्थापित इण्डक्शन मोटरों की क्षमता 1 हार्सपावर से अधिक नहीं है, परन्तु परिसर में स्थापित सभी मोटरों की क्षमता 3 हार्सपावर या उससे अधिक है।

ब कंडिका 6.16 में यह स्पष्ट है कि समुचित कैपेसिटर स्थापित किये जाने पर भी यदि निश्चित सीमाओं के अंतर्गत पावर फैक्टर मीटर में दर्ज नहीं होता है तब ऐसी स्थिति में भी निम्न पावर फैक्टर सरचार्ज का भुगतान करना आवश्यक होगा।

09 आवेदक द्वारा तर्क के दौरान मेसर्स ऊषा टैक्सटाईल्स, माधव नगर, उज्जैन के प्रकरण का उल्लेख किया। इस प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि मेसर्स ऊषा टैक्सटाईल्स, माधव नगर, उज्जैन के विद्युत कनेक्शन में भी 1 हार्स पावर की 21 इण्डक्शन मोटरें स्थापित थी। अतः विद्युत लोकपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 32413 मेसर्स ऊषा टैक्सटाईल्स, माधव नगर, उज्जैन विरूद्ध कार्यपालन यंत्री (पश्चिम संभाग) म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी उज्जैन में यह मानते हुए कि उनके परिसर में कोई भी इण्डक्शन मोटर 1 हार्सपावर से अधिक नहीं है। अतः कैपेसिटर लगाने की बाध्यता को नहीं मानते हुए पावर फैक्टर सरचार्ज मद में की गई बिलिंग को विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधान विपरीत मानते हुए फोरम के आदेश को अपास्त कर आदेश जारी किया गया था (ओई–1) । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 की कंडिका 5.53 के तहत विद्युत नियामक आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें आयोग द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रकरण में फोरम द्वारा दिया गया आदेश रेग्यूलेशन एवं विद्युत प्रदाय संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप है, अतः विद्युत लोकपाल द्वारा प्रकरण में पुनः विचार किया जाए।(ओई–2)

10 उपरोक्त आयोग के निर्देश के अनुसार विद्युत लोकपाल द्वारा अपने आदेश दिनांक 6.9.2013 को अपास्त करते हुए फोरम द्वारा दिये गये आदेश को यथावत रखा(ओई–3)। इस प्रकरण में भी सभी आवेदकों के यहॉ यद्यपि स्थापित विद्युत मोटर की क्षमता 1 हार्सपावर से अधिक नहीं है परन्तु मोटरों का कुल संयोजित भार 3 हार्सपावर से अधिक है एवं समुचित क्षमता के कैपेसिटर स्थापित किये जाने के उपरांत भी मीटर द्वारा निर्धारित पावर फैक्टर अभिलेखित नहीं किया जाना पाया गया। अतः आयोग द्वारा उक्त प्रकरण में दिये गये निर्देश एवं मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 के प्रावधाना 6.16 के अनुसार आवेदकों के विरूद्ध निम्न पावर फैक्टर दर्ज होने पर अधिभार की बिलिंग किया जाना प्रावधान के अनुकूल है।

11 आवेदक के अधिवक्ता का यह कथन कि उनके परिसर में स्थापित पावर लूम में कोई भी इण्डक्शन मोटर 1 हार्सपावर की क्षमता से अधिक नहीं है तथा ये मोटरें कभी भी एक साथ लगातार नहीं चलतीं जिसके कारण पावर फैक्टर निर्धारित सीमा में संधारित नहीं हो पा रहा है, यदि आवेदकों द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 6.14 में दर्शाये भार अनुसार निर्धारित क्षमता के कैपेसिटर की स्थापना की गई है। अतः अनुज्ञप्तिधारी/अनावेदक को सलाह दी जाती है कि वे आवेदकों को निर्धारित क्षमता के कैपेसिटर स्थापित करने के उपरांत भी निर्धारित पावर फैक्टर संधारित नहीं होने के तकनीकि कारणों से अवगत करायें तथा उन्हें पावर फैक्टर में सुधार हेतु तकनीकि सलाह दें जिससे कि वे निर्धारित सीमा के अनुसार पावर फैक्टर संधारित कर सकें।

12 अतः मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 6.16 के प्रावधान के अनुरूप विद्युत शिकायत निवारण फोरम के आदेश की पुष्टि करते हुए आवेदक का अभ्यावेदन खारिज किया जाता है।

13 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल